NPR & NRC की गरीब वर्ग पर पड़ेगी सबसे ज्यादा मार

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और प्रस्तावित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (**NPR**) के खिलाफ देशभर के लोग विरोध कर रहे हैं। NPR को असल में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में बदल दिया जाएगा। बड़ी संख्या में भारतीयों ने इसके पीछे छिपे असंवैधानिक, भेदभाव और गरीब–विरोधी कदम के खतरों को समझा है। भारतीयों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ एक स्वर में स्पष्ट रूप से बात की है। असम में, जहां छल्ब पहले ही लागू हो चुका था, वहां 19 लाख लोगों को 'स्टेटलेस' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सबूत के बोझ तले दबे ये भारतीय नागरिक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स से जूझ रहे हैं।

अब, अखिल भारतीय स्तर पर NPR & NRC के साथ, देशभर में उथल–पुथल होने की संभावना है। अब देशभर में असम दोहराया जाएगा। ट्रेड यूनियनों और कार्यकर्ताओं को पता है कि सबसे ज्यादा नुकसान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, आदिवासियों–वन निवासियों, एससी/एसटी, ओबीसी और मुसलमानों को होगा।

किसे सबसे अधिक प्रताड़ित किए जाने की संभावना है?

भारत की विशाल आबादी (40 प्रतिशत से अधिक) गरीबी के कारण हाशिए पर है। इनमें 8 करोड़ आदिवासी और वन निवासियों, 27–28ः दलित, लघु, सीमांत किसान, प्रवासी श्रमिक और मुसलमान विशेषकर असंगठित क्षेत्र के निश्चित रूप से श्रमिक हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और संपत्ति के स्वामित्व से दूर रखा गया है और जब यह कवायद शुरू होगी तो वे सभी प्रभावित होंगे!

भारत में करीब 40 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जो कार्यबल का 90 प्रतिशत है। इनमें से 3.9 करोड़ मुस्लिम 3.65 करोड़ मुस्लिम पुरुष और बाकी 30 लाख महिलाएं हैं। कई घरों में केवल एक ही कमाने वाला सदस्य होता है, जो अधिकतर पुरुष होता है, और अगर उस व्यक्ति को दस्तावेजों को इकट्ठा कर के नागरिकता साबित करने के चक्कर में अपना काम छोड़कर भागना पड़े, तो उसके परिवार को अत्यधिक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, और वह परिवार और भी अधिक गरीब हो जाता है। क्या सरकार यही चाहती है?

1) व्यवसाय की शर्तों के तहत

छोटे और हाशिए पर के किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, फसल काटने वाले, मछुआरे, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी बनाने, लेबलिंग और पैकिंग करने वाले, भवन और निर्माण कामगार, चमड़े के मजदूर, बुनकर, कारीगर, नमक कर्मचारी, ईंट भट्टों और पत्थर की खदानों में काम करने वाले, आरा मिलों, तेल मिलों आदि के श्रमिक इसी श्रेणी में आते हैं।

2) रोजगार के प्रकार और उनके शर्तों के तहत

कृषि से जुड़े मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, अनुबंध और आकस्मिक मजदूर इस श्रेणी में आते हैं।

3) विशेष रूप से डिस्ट्रेस्ड श्रेणी की शर्तों के तहत

ताड़ी निकालने वाले, सफाई कर्मचारी, कचरा बीनने वाले, कुली–खलासी, पशु चालित गाड़ियों के गाड़ीवान, लोडर और अनलोडर्स इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

4) सेवा की शर्तों के तहत

प्रसव में सहायता देनेवाली दाई, घरेलू कामगार, मछुआरे और मछुआरन, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, अखबार विक्रेता आदि इस श्रेणी से संबंधित हैं।

असंगठित क्षेत्र के ये कार्यकर्ता ज्यादातर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हैं, जिनके पास स्थायी आवासीय पता, जन्म या स्कूल प्रमाण पत्र नहीं है, जिनके लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार पहचान संख्या के लिए आवेदन करना मुश्किल है। 2018 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री के.जे. अल्फोंस द्वारा संसद को बताया गया था, कि कुल आबादी के 89% से अधिक लोगों को आधार कार्ड प्रदान किया गया था। 2019 में, भारत में लगभग 90 करोड़ योग्य मतदाता थे, जिनमें 95.64% के पास फोटो पहचान पत्र थे। जबकि सरकार ने आधार का उपयोग करते हुए 40 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को बीमा और पेंशन जैसे लाभों की पेशकश करने की योजना बनाई है, सरकार अब तक स्पष्ट नहीं है कि बायोमेट्रिक पहचानकर्ता या मतदाता पहचान पत्र नागरिकता के प्रमाण के रूप में माना जाएगा या नहीं।

क्यों?

उदाहरण:

1) बेंगलुरु के वस्त्र उद्योग में अनौपचारिक महिला श्रमिकों को अभी भी आधार के लिए नामांकन करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि पते के प्रमाण के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। प्रवासियों को अक्सर उन्हें उपलब्ध कराना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके घर अन्य राज्यों में हैं।

2) बेंगलुरु में एपीएमसी मार्केट में, 3,000 से अधिक हेड लोडर के पास कोई दस्तावेज नहीं है, यहां तक कि वोटर आईडी भी नहीं है! NPR & NRC प्रक्रिया शुरू होने पर उनके साथ क्या होगा?

3) एमसीजीएम (ग्रेटर मुंबई के नगर निगम) में काम करने वाले 2700 संविदा सफाई कर्मचारियों को 12 साल के संघर्ष के बाद स्थायित्व मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 7/4/2017 को उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर के उनके पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन MCGM ने 2370 दावों को स्पेलिंग में विसंगतियों के आधार पर खारिज कर दिया (कुछ ऐसा ही असम में गरीबों और हाशिए के लोगों के साथ किया गया है!), जैसे दीपक या दिपक, वसंत या बसन्त, हरिजन या अर्जुन, कांबले या कांबली। मिलिंद रानाडे कहते हैं कि नामों की स्पेलिंग की विसंगतियां सुधारने के लिए कचरा वहातुक श्रमिक संघ को 2.5 साल से अधिक समय लग चुका है।

असम में, 14 (तथा दो अन्य "कमजोर" दस्तावेजों) के अलावा, आवेदकों के पास शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, एलआईसी नीति, भूमि और किरायेदारी के रिकॉर्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज पेश करने का विकल्प भी था। बैंक / डाकघर के खाते, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, सरकारी रोजगार प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र और न्यायालय रिकॉर्ड। 19 लाख नागरिकों को असम NRC से वंचित कर दिया गया है और आवश्यक सबूत देने के बाद भी काफी लोगों को गलत तरीके से 'विदेशी' या 'अवैध आप्रवासियों' के रूप में करार दिया गया था।

महिलाएं

असम में NRC प्रक्रिया में बाहर रखे गए लोगों में 69 प्रतिशत महिलाएं थीं जो बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। दस्तावेजों की कमी के कारण गरीब पृष्ठभूमि की महिलाओं को बाहर रखा गया था। असम में 1985 तक जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं था। NRC प्रक्रिया में इस बात का संज्ञान ही नहीं लिया गया है। 18 वर्ष की होने से पहले कई महिलाओं की शादी हो चुकी थी, इसलिए उनका नाम उनके माता–पिता के साथ मतदाता सूची में नहीं होगा। NRC प्रक्रिया की जानकारी का अभाव, पितृसत्ता के कारण पुरुषों पर वित्तीय निर्भरता, और अन्य तरह के निर्णय लेने की निर्भरता होने के कारण, जल्दी शादी होने और बालिका शिक्षा की उपेक्षा जैसी प्रथाओं ने उनसे उनके वैध पहचान प्रमाण का अधिकार ही छीन लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों या रूढ़िवादी परिवारों में अधिकांश महिलाएं मतदाता पहचान पत्र के लिए पंजीकरण नहीं करती हैं। शैक्षिक डिग्री और भूमि दस्तावेजों के बिना, महिलाओं के पास स्वतंत्र पहचान दस्तावेज नहीं होते हैं जो उन्हें विशेष रूप से छत्ब प्रक्रिया के लिए अक्षम कर देता है।

हाशिए पर के वर्ग, मुस्लिम, एससी, एसटी, वन निवासी

बड़े पैमाने पर अशिक्षा और दस्तावेजों को बनाए रखने की जागरूकता की कमी भारत के दलितों और आदिवासी समुदायों को प्रभावित करने वाली है। असम NRC में 1 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति जो असम के मूल निवासी थे, 1971 से अपनी विरासत साबित करने में असमर्थता के कारण सूची से बाहर हो गए थे। इसके अलावा आदिवासी, वन क्षेत्रपाल, भूमिहीन छोटे किसान, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले, दंगा पीड़ित जिनका सरकारी जमीन पर पुनर्वसन किया गया है: ऐसे लाखों भारतीय हैं जो ऐसी भूमि पर रहते हैं जो कि कानूनी अधिकार या प्रलेखन द्वारा जारी नहीं है, जबकि उनका यहां दशकों से कब्जा है! सरकार अभी भी सार्वजनिक भूमि, जिसे 'सरकारी–भूमि' कहा जाता है, उसपर से पुराने उपयोगकर्ता को बदल देती है जिससे लाखों लोगों वैधता रद्द हो जाए। और इस तरह भूमि पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाए, जो देशव्यापी विस्थापन पिछले 70 वर्षों में बड़े पैमाने पर उथल–पुथल, बुनियादी मानव अधिकारों के हनन और दरिद्रता का कारण बना।

वन भूमि पर वन निवासियों और आदिवासियों का स्वामित्व होता है और वे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अपनी ऐतिहासिक विरासतों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों को कानूनी रूप से स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। NPR & NRC इन वर्गों को किस प्रकार प्रभावित करेगा?

बुरी तरह प्रभावित होंगे गरीब

सरकार की विभाजनकारी मंशा के कारण न केवल भारतीय समाज में उथल–पुथल होगी बल्कि, NRC गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने के लिए तैयार है। विशेष रूप से दस्तावेजों को इकट्ठा करने और अधिकारियों द्वारा अनुचित उत्पीड़न के रूप में गरीब ही इस प्रणाली की मार खाते हैं ।

सरकारी खजाने को NRC की प्रक्रिया में प्रशासनिक लागत 55,000 करोड़ रुपये आएगी। 2 से 3 लाख करोड़ रुपये डिटेंशन सेंटर बनाने में खर्च होंगे। डिटेंशन सेंटर में लोगों की देखभाल करने के लिए 36,000 करोड़ रुपये (नेशनल हेराल्ड के मुताबिक) खर्च होंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, नागरिकता प्राप्त करने की लागत 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक जाएगी। असम में NRC से छूटे हुए लोगों की सुनवाई के लिए 7,836 करोड़ रुपये खर्च होंगे। क्या भारत का आर्थिक रूप से असहाय श्रमिक वर्ग NRC की लागत को वहन करने में सक्षम होगा, विशेष रूप से तब, जब देश की 22 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है?

अब जो NPR & NRC का खतरा मंडरा रहा है, वह कोई चर्चा किए बगैर, एक बिना सोचा समझा कदम है, जिसे भारत अपने ही नागरिकों को बड़े पैमाने पर बेदखल होते देख रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसका लक्ष्य धार्मिक अल्पसंख्यकों (विशेष रूप से मुस्लिमों) को निशाना बनाकर एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। परन्तु असल में कमजोर और हाशिए वाले वर्गों के सभी गरीब भारतीय इसकी चपेट में आने वाले हैं।

क्या आप जानते हैं?

☐ वोटर पंजीकरणरू भारत में मतदाता पंजीकरण 100ः नहीं है। हाल में एक गंभीर और चिंताजनक बात देखी गई है, जिसमे हाशिए पर खड़े कुछ खास वर्गों को वोट देने के भी अपने मूल अधिकार से राजनीतिक रूप से वंचित किया जा रहा है। जो देश आजतक सभी भारतीयों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने में कामयाब नहीं हुआ, उस से क्या निष्पक्ष नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया (NPR या NRC) करने की उम्मीद की जा सकती?

☐ जन्म पंजीकरण आँकड़े: जन्म और मृत्यु अधिनियम का पंजीकरण 1969 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम ने सभी जन्म लेने वाले शिशुओं को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि, यूनिसेफ के अनुसार, "देश में जन्म और मृत्यु का वर्तमान पंजीकरण स्तर बहुत कम है। जन्म के लिए लगभग 58% और मृत्यु की पंजीकरण दर केवल 54% है। हर साल लगभग 42% जन्म अपंजीकृत रह जाते हैं, जो लगभग 1 करोड़ होते हैं।" अगर आज ऐसा है, तो कल्पना कीजिए कि 1971 से पहले ऐसा क्या था! या जो भी नई कट–ऑफ डेट होगी! जब जन्म पंजीकरण भी शत–प्रतिशत नहीं हैं, तो हम पूरी तरह से NPR / NRC की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

☐ आवास सांख्यिकीरू 2001 की जनगणना के अनुसार, 18.7 करोड़ घरों को 19.2 करोड़ नागरिकों के आवास के रुप में दर्ज किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 24.67 करोड़ घर हैं। Livemint के लेख में इस मामले पर अधिक जानकारी प्राप्त करें: Five charts on the state of India's housing sector.

☐ पासपोर्ट: आज भारत की कुल 130 करोड़ लोगों की आबादी में से केवल 6.5 करोड़ ही पासपोर्ट धारक हैं।

☐ LIC दस्तावेज: आज भी भारत में बहुत कम लोग बीमाकृत हैं और स्पष्ट रूप से, बीमा एक विशेषाधिकार है। बहुत सारे लोग स्वास्थ और पैसे के अभाव के अलावा, विभिन्न अयोग्य कारकों के कारण बीमा नहीं करा सकते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और भारतीय बीमा सांख्यिकी पर पुस्तिका, 2016–2017 के डेटा के अनुसार, बीमा स्वास्थ्य और धन तक सीमित नहीं हैं। प्रत्येक नीति को एक अद्वितीय नागरिक के रूप में माना जाता है, इन खातों में 25 प्रतिशत आबादी का जीवन बीमा है, जिसमें 75 प्रतिशत या 98.8 करोड़ भारतीय बिना बीमा के हैं।"

☐ बैंक खाते: आज भी, 19 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास बैंक खाता नहीं है। जिनके पास घर या जमीन के मालिकाना दस्तावेज नहीं हों तो उनके लिए NPR / NRC के लिए जरूरी सबूत / दस्तावेज के क्या मानक होंगे?

☐ प्रवासी श्रमिकरू फिर उन लाखों भारतीयों का सवाल है जो प्रवासी श्रमिक हैं और अपने निवास स्थान पर नहीं रहते हैं।

☐ कैसे NPR / NRC भारत के प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण या रिकॉर्ड करेगा, जिनके पास न कोई घर है न ही जमीन और जिन्हें वोट का अधिकार भी नहीं दिया गया है? इस प्रक्रिया में (समावेशन / बहिष्करण), इस वर्ग का क्या होगा, जिनका जीवन राज्य की कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर करता है? उनके लिए तो यह एक भयावह प्रकोप बन जायेगा।

☐ यूनेस्को के अनुसार भारतीय साक्षरता दर (2018) 70.47% है। यदि NPR (जो कि 'हाउस टू हाउस' सर्वे है) को सूचित करने वाली प्रक्रिया, इसके मानदंड, तौर–तरीके, सेन्सस जनगणना की तरह जानकारी एकत्र करने वाली (समावेशी) प्रक्रिया नहीं रहती है, तो यह देश भर में, असम में हुए संकट से कहीं अधिक बड़ी आपदा बन सकती है।

असम के नागरिकता संकट से निपटने में सराहनीय काम के साथ ही CJP अपने वॉलंटियर, कार्यकर्ताओं, कानूनी सलाहकारों, ट्रेड यूनियनों और छात्रों के लिए व्यक्तिगत और ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। आप चाहें तो अपने पास के एक प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो सकते हैं, या अपने क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कर सकते हैं।

हमें इस ईमेल पर लिखें info@cjp-org-in या संपर्क करें 91 7506661171.

हमें /CJPIndia पर फॉलो करें

Twitter : @cjpindia

Instagram : @cjpindia

Facebook : facebook.com/cjpindia